झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्पलेक्स, मोराबादी, राँची ।

सूचना

मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृति योजना

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या–2724, दिनांक–28.12.2020 एवं संकल्प संख्या–1585, दिनांक–03.06.2022 के आलोक में झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए वित्तीय वर्ष–2025–26 हेतु **मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृति योजना, 2020 (संशोधित, 2022)** अन्तर्गत आवेदन करने के लिए दिनांक–**05.05.2025 से 06.06.2025** तक आमंत्रित किया जाता है।

मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत एवं चिवनिंग मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्थेन आयरलैण्ड के लिए चयनित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा, **मास्टर्स (Masters)/(M.Phil) Full Degree Program** हेतु चयनित अनुसूचित जनजाति के 10, अनुसूचित जाति के 05, पिछड़े वर्ग के 07 एवं अल्पसंख्यक समुदाय के 03 कुल 25 छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

आवेदन ऑनलाईन निम्न लिंक पर किया जा सकता है–

www.mgos.jharkhand.gov.in

मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति की विशेष जानकारी हेतु उपर्युक्त विभागीय साईट का अवलोकन किया जा सकता है।

नोट– (i) *यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्थेन आयरलैण्ड के लिए चयनित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में मास्टर्स (Masters)/(M.Phil) Full Degree Program हेतु Offer Letter प्राप्त छात्र–छात्राएँ ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान पर ही Offer Letter को Upload करना सुनिश्चित करेंगे।*

(ii) *विस्तृत जानकारी के लिए jhar.mgos@gmail.com पर e-mail करें तथा मो0 नं0 9955532969 पर Whatsapp के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।*

(अजय नाथ झा)
आदिवासी कल्याण आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।